

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06/2024  
 दायरा तिथि : 01/01/2024  
 निर्णय :- 26-6-25

जगदीश आदि

बनाम

अमरदान आदि

राजगढ़ तालुका

1. जगदीश पुत्र मघाराम उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
2. भागीरथ पुत्र मघाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
3. हीरा पत्नी मघाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
4. मनोहरी पुत्री मघाराम उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
5. नराणाराम पुत्र पूर्णाराम उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
6. मदनलाल पुत्र पूर्णाराम उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
7. मांगीलाल पुत्र पूर्णाराम उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)

- वादीगण

बनाम

1. अमरदान पुत्र दुर्गादान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
2. दुर्गा पत्नी दुर्गादान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
3. प्रेमदान पुत्र दुर्गादान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
4. भवानीदान पुत्र दुर्गादान उम्र 26 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
5. रामूदान पुत्र दुर्गादान उम्र 40 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
6. कमला कंवर पुत्री दुर्गादान पत्नी हिम्मतदान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु हाल निवासीनी ग्राम दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राज0)
7. ईशरदान पुत्र बद्दीदान उम्र 60 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
8. उच्छब कंवर पत्नी बद्दीदान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
9. शिवदान पुत्र बद्दीदान नाबालिग जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
10. कैलाशदान पुत्र विजयदान नाबालिग जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
11. छेलूदान पुत्र विजयदान नाबालिग जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
12. नानू कंवर पत्नी विजयदान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
13. भैरूदान पुत्र कानदान उम्र 66 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज0)
14. पेमा कंवर पुत्री भंवरी (पत्नी कानदान) पत्नी हरीदान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु हाल निवासीनी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राज0)
15. सुरजान पुत्री भंवरी (पत्नी कानदान) पत्नी नारायणदान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु हाल निवासीनी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राज0)
16. विजू कंवर पुत्री भंवरी (पत्नी कानदान) पत्नी किशनदान उम्र 70 वर्ष जाति जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु हाल निवासीनी करखा छपर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज0)
17. इंद्रा कंवर पुत्री भंवरी (पत्नी कानदान) पत्नी मोहनदान चारण उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु हाल निवासीनी ग्राम भानूदा तहसील रतनगढ़ जिला चूरु (राज0)
18. राजू कंवर पुत्री भंवरी (पत्नी कानदान) पत्नी भगवानदान उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु हाल निवासीनी ग्राम खारी तहसील कोलायत जिला बीकानेर (राज0)
19. किशोर कंवर पुत्री भंवरी (पत्नी कानदान) पत्नी मूलदान चारण उम्र 70 वर्ष जाति चारण निवासीनी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु हाल निवासीनी ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज0)



लगातार .... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी

20. विकास पुत्र मंजूकंवर पुत्री भंवरी (पत्नी कानदान) उम्र वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम भाणुदा तहसील रतनगढ़ जिला चूरु (राज0)
21. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौछा शाखा ईयारा, तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
22. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कातर छोटी, तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
23. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पारेवड़ा, तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर (चूरु)

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का  
विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. रघुवीर भामू, एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. तहसीलदार, बीदासर वास्ते पैरोकार राज.

दिनांक : 26-6-25


निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त अनुवानी राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1085/872 तादादी 29.6179 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के मध्य वादगत खेत का मौखिक रूप से विभाजन किया हुआ है लेकिन उक्त खेत खसरा भूमि का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। जब तक कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का समान अधिकार होता है। वादीगण के उपरोक्त भूमि का अपना हिस्सा कब्जा, काश्त उपयोग-उपभोग के अनुसार वादगत खेत के पूर्वी तरफ की भूमि कब्जा काश्त में है, उपरोक्त भूमि को वादीगण अपने हिस्सा-पाति भूमि की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में वादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त व वादी संख्या 5 ता 7 के संयुक्त अलग से विभाजन कर सीमा कायम करवाने व अलग लगान कायम करवाने व उसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। आदि-आदि वाद-पत्र पेश किया गया।

वाद-पत्र पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 के आपस में राजीनामा व कुछ ने जरिये इकबाल जवाब दावा पेश कर इस न्यायालय में पेश किया कि हम पक्षकारों ने आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है व वादीगण ने आपस में अपने हिस्सा-पाति भूमि को भी मौखिक बंटवारा कर सीवें कायम कर रखी है। जिसमें वादीगण संख्या 1 ता 4 के पूर्वी पाखी उतर से दक्षिण व वादीगण संख्या 5 ता 7 के वादीगण संख्या 1 ता 4 के चिपता ही पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण की भूमि कब्जा काश्त व उपयोग-उपभोग में चली आ रही है, इसी प्रकार पक्षकारों ने आपसी सहमति से उपरोक्त भूमि का बंटवारा जरिये राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया है व वादीगण ने अपने स्वयं के बयान न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

मुताबिक राजीनामा व इकबाल जवाब दावा एवं वादीगण के वाद-पत्र के अनुसार उक्त पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर आदेश फरमाया गया कि तहसीलदार बीदासर को खसरा नम्बर 1085/872 तादादी 29.6179 हेक्टेयर वाके रोही ईयारा का मुताबिक हिस्सा व कब्जा-काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। मुताबिक आदेश तहसीलदार बीदासर द्वारा अपने पत्र क्रमांक भूअभिलेख/2025/1355 दिनांक 26.06.2025 विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर इस न्यायालय में पेश किया। जिसको शागील पत्रावली किया गया।

वादीगण वकील की बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई।



लगातार .... 3 पर  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज व राजीनामा, ईकबाल जवाब दावा एवं साक्ष्य वादीगण एवं तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1085/872 तादादी 29.6179 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। जिनमें वादीगण संख्या 1 जगदीश, 2 भागीरथ, 3 हीरा, 4 मनोहरी पुत्र/पत्नी/पुत्री मघाराम का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अंकितानुसार हिस्सा संयुक्त पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण की हिस्सा-पांति व कब्जा काश्त में है का इन चारों का संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी अंकित कर अलग लगान कायम किया जावे व वादीगण संख्या 5 नारायणराम, 6 मदनलाल, 7 मांगीलाल पुत्रगण पूर्णाराम का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अंकितानुसार हिस्सा संयुक्त वादीगण संख्या 1 ता 4 के चिपता पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण की हिस्सा-पांति व कब्जा काश्त में है की भूमि इन तीनों की संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी अंकित कर अलग लगान कायम किया जावे। वादीगण संख्या 5 ता 7 के आवागम हेतु विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु रास्ता रहेगा जो राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण संख्या 5 ता 7 के नाम अंकित किया जावे व शेष भूमि खेत खसरा संख्या 1085/872 तादादी 29.6179 हेक्टेयर वाके रोही ईयारा में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के मुताबिक हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त पश्चिमी पाखी उतर से दक्षिण की राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाना उचित है।

#### आदेश

वादीगण का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग का खेत खसरा नम्बर 1085/872 तादादी 29.6179 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। जिसमें वादीगण संख्या 1 जगदीश, 2 भागीरथ, 3 हीरा, 4 मनोहरी पुत्र/पत्नी/पुत्री मघाराम जाति जाट निवासीगण ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अंकितानुसार हिस्सा संयुक्त नक्शा में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण की हिस्सा-पांति व कब्जा काश्त में है को मुताबिक हिस्सा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में इन चारों का संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी अंकित कर अलग लगान कायम किया जावे व वादीगण संख्या 5 नारायणराम, 6 मदनलाल, 7 मांगीलाल पुत्रगण पूर्णाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम ऊँटालड़ तहसील बीदासर का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अंकितानुसार हिस्सा संयुक्त वादीगण संख्या 1 ता 4 के चिपता पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण की हिस्सा-पांति व कब्जा काश्त में है को मुताबिक हिस्सा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में इन तीनों की संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी अंकित कर अलग लगान कायम किया जावे। वादीगण संख्या 5 ता 7 के आवागम हेतु विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु रहेगा जो राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण संख्या 5 ता 7 के नाम अंकित किया जावे व शेष भूमि खेत खसरा संख्या 1085/872 तादादी 29.6179 हेक्टेयर वाके रोही ईयारा में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के मुताबिक हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त पश्चिमी पाखी उतर से दक्षिण की राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे व नक्शा में अलग तरमीम की जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अंतिम निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 2.6.16/25 को सारे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड-अधिकारी,  
बीदासर